

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, गवालियर

समक्ष : खण्डपीठ

1— एम०के० सिंह
सदस्य

2— आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग० 562—पीबीआर/09, 563—पीबीआर/09 एवं
564—पीबीआर/09 विरुद्ध आदेश दिनांक 20-2-09 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल
संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 74/अप्रैल/2005-06, 79/अप्रैल/2005-06 एवं
78/अप्रैल/05-06.

निग० 562—पीबीआर/09

जमनाप्रसाद आत्मज कुंजीलाल मालवीन
निवासी ग्राम पानतलाई तहसील टिमरनी
जिला हरदा

विरुद्ध

1— नानकरराम आत्मज राधेश्याम गुर्जर
2— रामचंद्र आत्मज नानकराम गुर्जर
दोनों निवासी ग्राम पानतलाई तहसील टिमरनी
जिला हरदा

निग० 563—पीबीआर/09

1— शिवजी
2— रतिराम
3— हरीराम
आत्मज गेंदालाल गुर्जर
निवासी ग्राम पान तलाई तहसील टिमरनी
जिला हरदा

- 4— सुशीलाबाई वेवा भागीरथ सुतार,
निवासी ग्राम पान तलाई तहसील टिमरनी
जिला हरदा

विरुद्ध

- 1— नानकरराम आत्मज राधेश्याम गुर्जर
2— शिवनारायण
3— गोविंद आत्मज नर्मदा प्रसाद गुर्जर
कृष्ण कुमार ग्राम पानतलाई तहसील टिमरनी
जिला हरदा

निगो 564—पीबीआर / 09

- 1— सुशीलाबाई वेवा भागीरथ सुनार,
2— अनोखी वल्द भागीरथ सुनार
3— अशोक कुमार वल्द भागीरथ सुनार,
4— महेश कुमार वल्द भागीरथ सुनार
5— विनोद कुमार वल्द भागीरथ सुनार
6— संतोष कुमार वल्द भागीरथ सुनार
7— सुनील कुमार वल्द भागीरथ सुनार
8— विपिन कुमार वल्द भागीरथ सुनार
सभी निवासी ग्राम पान तलाई तहसील टिमरनी
जिला हरदा

विरुद्ध

- 1— नानकरराम आत्मज राधेश्याम गुर्जर
2— रामचंद्र हात्मज नानक राम गुर्जर
3— राधेलाल आत्मज भगवान गुर्जर
सभी निवासी ग्राम पानतलाई तहसील टिमरनी
जिला हरदा

१५

श्री डी०एस० चौहान एवं श्री दिवाकर दीक्षित, अधिवक्ता आवेदकगण ।

श्री कुंवरसिंह कुशवाह, अधिवक्ता, अनावेदकगण ।

श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता, शासन ।

सर्व श्री आर.डी. शर्मा, श्री एस.के. वाजपेई, श्री एस.के. अवरथी, श्री विजयकृष्ण योगी,
श्री एस.के. श्रीवास्तव, श्री जगदीश श्रीवास्तव, श्री प्रदीप श्रीवास्तव, श्री आर.एस.सेंगर,
श्री एस.पी.धाकड़, श्री के. के. द्विवेदी, श्री एस.एल. धाकड़, श्री व्ही. के. तारे,
श्री बी.एस.धाकड़, श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, न्यायमित्र अभिभाषक

:: निर्णय ::

(आज दिनांक १४ - ३ - २०१६ को पारित)

इस खण्डपीठ के समक्ष निम्न वैधानिक बिंदु निर्णय हेतु संदर्भित किया गया

है :-

“ क्या संहिता की धारा 250 की कार्यवाही में संहिता की धारा 129 के अंतर्गत की गई सीमांकन की कार्यवाही की वैधानिकता पर विचार किया जा सकता है ? ”

2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों एवं लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही का विचारण तहसीलदार के समक्ष होता है अतः धारा 250 की कार्यवाही में संहिता की धारा 129 के अंतर्गत की गई सीमांकन की कार्यवाही की वैधता पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि धारा 129 में कार्यवाही पर तहसीलदार ने ही विचार कर फील्ड बुक नक्शा जारी किया जाता है तब यदि धारा 250 की कार्यवाही में उसकी वैधानिकता पर पुनर्विचार किया गया तो उनका पूर्व आदेश प्रभावित होगा तथा प्रकरण की अंतिमता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा साथ ही पूर्व न्याय के सिद्धांत की बाधा आयेगी । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 129 के अंतर्गत किए गए सीमांकन पर यदि किसी पक्ष को कोई आपत्ति है तो वह आपत्ति का निराकरण करा सकता है तथा सक्षम न्यायालय से उक्त कार्यवाही की नियमितता तथा वैधता का परीक्षण करा सकता है । इस संबंध में उनके द्वारा 1997 आर०एन० 92, 1983 आर०एन० 311 का उल्लेख करते हुए निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

3/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ न्यायमित्र के रूप में अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेई द्वारा तर्क दिया गया है कि राजस्व मंडल की जो दो रूलिंग हैं वे अपने स्थान पर सही हैं। सीमांकन के अधिकार राजस्व निरीक्षक को हैं जबकि वह रेवेन्यू ऑफीसर नहीं है। संहिता की धारा 250 में सीमांकन के संबंध में कॉज ऑफ एक्शन महत्वपूर्ण किया गया है अतः धारा 250 की कार्यवाही में इस बिंदु पर विचार किया जाना चाहिए कि सीमांकन की कार्यवाही विधि अनुसार है या नहीं।

5/ न्यायमित्र सर्व श्री आर.डी. शर्मा, श्री एस. के. अवस्थी, श्री प्रदीप श्रीवास्तव अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि सीमांकन की कार्यवाही जो धारा 129 के अधीन होती है उसे संहिता की धारा 250 की कार्यवाही में प्रश्नागत नहीं किया जा सकता है। एक प्रकरण में किसी दूसरे अन्य प्रकरण में पारित आदेश के संबंध में विचार किया जाना कानून सही नहीं है। संहिता की धारा 250 में सीमांकन महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 1990 आर.एन. एम.पी.डब्ल्यू.एन. वॉल्यूम 2 नोट 64 एवं 2013 आर.एन. 277 उच्च न्यायालय का हवाला देते हुए कहा गया कि संहिता की धारा 250 की कार्यवाही में सीमांकन की वैधता पर विचार नहीं किया जा सकता है।

6/ अन्य न्यायमित्र अधिवक्ताओं द्वारा भी उपरोक्त आशय के ही तर्क प्रस्तुत किए गए।

7/ सभी पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। संहिता की धारा 129 के अंतर्गत सीमांकन कार्यवाही प्रशासकीय स्वरूप की होती है जिसके विरुद्ध अपील प्रतिबंधित है परंतु निगरानी किए जाने का प्रावधान है। अतः सामान्य स्थिति में संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रचलित प्रकरण में सीमांकन कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए परंतु जहां संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रचलित प्रकरण में प्रथमदृष्टया ही सीमांकन कार्यवाही में गंभीर अनियमितता या अवैधानिकता पाई जाती है, वहां वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रचलित प्रकरण में सीमांकन कार्यवाही की वैधानिकता पर विचार किया जा सकता है क्योंकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी अवैधानिक कार्यवाही के आधार पर संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत अग्रिम कार्यवाही नहीं की जाना चाहिए जिससे कि पक्षकार के विरुद्ध तथ्यतः अन्याय न हो। परंतु यदि सीमांकन कार्यवाही के विरुद्ध वरिष्ठ न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करदी गई हो और वह लंबित हो अथवा निराकृत हो

चुकी हो तब संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रचलित प्रकरण में सीमांकन कार्यवाही की वैधानिकता पर विचार नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर खण्डपीठ का उत्तर निम्नानुसार है :—

“ सामान्य परिस्थितियों में संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रचलित प्रकरण में संहिता की धारा 129 के अंतर्गत की गई सीमांकन कार्यवाही को हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है परंतु यदि प्रथमदृष्टया ही सीमांकन कार्यवाही में गंभीर अनियमितता या अवैधानिकता पाई जाती है तो संहिता की धारा 250 की कार्यवाही में सीमांकन की कार्यवाही पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि सीमांकन की कार्यवाही के विरुद्ध वरिष्ठ न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई हो अथवा वरिष्ठ न्यायालय से निराकृत नहीं हो गई हो। ”

(आशीष श्रीवास्तव)

सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर

(एमो को सिंह)

सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर